

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर**

क्रमांक : प.1(ग)( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/15

दिनांक : 3/4/18

-: आदेश :-


राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के नियम 22 (1)के प्रावधानों के अन्तर्गत फायरमैन के रिक्त पदों पर निर्मांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में नियुक्ति दिये जाने की एतद् द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	जन्म दिनांक	वर्ग	पदस्थापित निकाय का नाम
1	41738194172	श्री हेम प्रकाश शर्मा	बांसवाडा	21-11-1978	GEN	बांसवाडा
2	41738194153	श्री नरेश कुमार पाटीदार	डूंगरपुर	20-06-1982	GEN	डूंगरपुर
3	41738189842	श्री देवेन्द्र सिंह राठौड	डूंगरपुर	29-08-1988	GEN	डूंगरपुर

01. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं न्यूनतम छः माह की अवधि के लिये आयोजित वैशिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण सम्बन्धि प्राथमिक जांच विभाग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं न्यूनतम छः माह की अवधि के लिये आयोजित वैशिक एलिमेन्ट्री फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण सम्बन्धि जांच एवं प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था के रजिस्ट्रेशन एवं मान्यता सम्बन्धि जांच संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशिषी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर की जाकर ही नियुक्ति आदेश जारी करावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
02. यह व्यनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यक्षीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएँ तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिस के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
03. फायरमैन पद पर व्यनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
04. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरकारी चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
05. उपरोक्त कामियों का वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.12(2)एफडी/रुल्स/2005 दिनांक 20.04.2006 के बर्णितानुसार निर्धारित समयावधि तक फिक्स रेग्युलेशन देय होगा।
06. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं व्यनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर यदि सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के अध्यक्षीन रहेगा।
07. उपरोक्त पदों को भरे जाने के कारण होने वाला वित्तीय गार नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।

08. नगर निकायों को आवंटित व्ययित फायरगैज इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज सहित लिखित आवेदन के साथ उपस्थित होंगे जिसको संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत फायरगैज पद हेतु व्ययित अभ्यर्थी कार्यक्रम ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।
09. उक्त नियुक्ति कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी।


अतः इन्हे नियत समयावधि में नियमानुसार ज्यूटी ज्वार्डन करवाई जाकर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।

  
(पवन अरोड़ा)  
निदेशक एवं संयुक्त  
शासन सचिव  
दिनांक : 3/4/18

क्रमांक : पन(म)( )का/एसएमई/डी.एल.पी/18/16-32

प्रतिलिपि :- सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजठ जयपुर।
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिसापी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/पालिका को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्ति सम्बन्धि कार्यवाही तत्काल सम्पादित करते हुए नियुक्ति आदेश की प्रति विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाये। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश पात्र नहीं पाया जाता है तो तत्काल विभाग को लौटाते हुए कारण सहित अवगत करावे।
04. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
05. अध्यक्ष/सचिव, राज्य स्तरीय राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मात्रालयिक सेवा) आयोग, राज जयपुर।
06. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लया है कि विभाग का वेबसाईट व सीएमएस की वेबसाईट पर अपलोड करे।
07. कार्यलय अधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।
08. संबंधित कर्मचारी.....
09. सुरक्षित पत्रावली।

  
(डॉ वीरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)